

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी, 2021-पौष 18, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, संजय गुप्ता पुत्र श्री हरिहर प्रसाद गुप्ता सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पूर्व का नाम संजीव गुप्ता था, जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है. वर्तमान में मैं, संजय गुप्ता पुत्र श्री हरिहर प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा हस्ताक्षर करता हूँ संजय गुप्ता एवं संजीव गुप्ता मेरे ही नाम है. अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम संजय गुप्ता पुत्र श्री हरिहर प्रसाद लिखा, पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :
(संजीव गुप्ता)

नया नाम :

(संजय गुप्ता)

पुत्र-श्री हरिहर प्रसाद,
पता-प्रेम अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 56,
सर्वधर्म कॉलोनी, ए-सेक्टर कोलार रोड,
भोपाल (म.प्र.).

(584-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना उपनाम विवाह उपरांत कुछ दस्तावेजों में सुष्मिता शर्मा कर लिया था. जिसे निजी कारणों से अब परिवर्तित कर मूल उपनाम सुष्मिता नामदेव कर लिया है. भविष्य में मुझे इसी नाम व उपनाम से जाना व पहचाना जावें.

पुराना नाम :
(सुष्मिता शर्मा)
(SUSHMITA SHARMA)

नया नाम :

(सुष्मिता नामदेव)

(SUSHMITA NAMDEO)

पता-वार्ड नं. 10, गायत्री मंदिर के पास
शहडोल (म.प्र.).

(584-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरभि वैभव प्रियदर्शी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम सुरभि श्रीवास्तव पुत्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव (SURABHI SHRIVASTAVA D/o PRABHAT KUMAR SHRIVASTAVA) था. मेरा विवाह हिन्दु रिती-रिवाज से दिनांक 28-06-2017 को वैभव प्रियदर्शी के साथ हो गया है. विवाह उपरांत मेरा नाम सुरभि वैभव प्रियदर्शी (SURABHI VAIBHAV PRIYADARSHI W/o VAIBHAV PRIYADARSHI) हो गया है तथा भविष्य में भी इसी नाम सुरभि वैभव प्रियदर्शी पत्नी श्री वैभव प्रियदर्शी (SURABHI VAIBHAV PRIYADARSHI W/o VAIBHAV PRIYADARSHI) के नाम से ही जानी, पहचानी जाऊंगी तथा मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक, शासकीय अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम (SURABHI VAIBHAV PRIYADARSHI W/o VAIBHAV PRIYADARSHI) अंकित किया जाये, भविष्य में भी मुझे सुरभि वैभव प्रियदर्शी पत्नी श्री वैभव प्रियदर्शी के नाम से पहचाना एवं पुकारा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(सुरभि श्रीवास्तव)

(585-बी.)

नया नाम :

(सुरभि वैभव प्रियदर्शी)

पता-फ्लैट नंबर-07, प्लॉट नंबर-सी,
3, शक्ति आर्कड बिल्डिंग, भेल, सगम कॉलोनी,
बागमुगालिया, जिला-भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का जन्म दिनांक प्रमाण-पत्र (कमलाराजा हॉस्पिटल क्रमांक-B-2020-23-90871-005558, जन्म दिनांक 21-09-2020) में नाम जारा फातिम दर्ज हो गया है, जिसे बदलवाकर अदीबा फातिमा करना चाहता हूँ तथा जन्म के समय पता दौलत का पुरबा, पो. अमावा, जिला प्रतापगढ़ उ.प्र. हो गया है. जबकि जन्म के समय का पता रेलवे कॉलोनी, क्वार्टर नं. RB1/06 रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली, ग्वालियर 474001 है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री को अदीबा फातिमा के नाम से जाना जाए और जन्म के समय का पता-रेलवे कॉलोनी, क्वार्टर नं. RB1/06 रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली, ग्वालियर अंकित किया जाए.

मोहम्मद आजाद अली,

निवासी-रेलवे कॉलोनी, क्वार्टर नं. RB1/06

रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली, ग्वालियर (म.प्र.).

(579-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, ममता दुबे (mamta dubey) पति स्व. रेवा प्रसाद दुबे, उम्र-54 वर्ष, निवासी बजरंग वार्ड देवरी खुर्द, पनागर, जिला जबलपुर की शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मैं उक्त पते की स्थायी निवासी हूँ. मेरा सही नाम ममता दुबे (MAMTA DUBEY) है जो कि मेरे आधार कार्ड, समग्र आई. डी., पेनकार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में दर्ज है परन्तु मेरे PPO के रिकॉर्ड में मेरा नाम ममथा (MAMTHA) लिख गया है, जो कि मेरा गलत नाम है. यह कि उपरोक्त दोनों नाम ममता दुबे (MAMTA DUBEY) एवं ममथा (MAMTHA) एक ही सख्स याने मेरे ही नाम दर्ज है अन्य कोई नहीं केवल स्पेलिंग में गलती से H लिख गया है. अतः PPO के रिकार्ड में मेरा नाम ममथा (MAMTHA) से सुधारकर ममता दुबे (MAMTA DUBEY) किया जाये जिससे मुझे पेंशन प्राप्त हो सके. मेरे नाम के सत्यापन बावत् शपथपत्र प्रस्तुत है.

पुराना नाम :

(ममथा)

(MAMTHA)

(586-बी.)

नया नाम :

(ममता दुबे)

(MAMTA DUBEY)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण सूचित हो कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम दुर्गा लखानी पुत्री श्री रूपचन्द लखानी है, जोकि मेरे शैक्षणिक अंकसूची व अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है. सामाजिक रीतिरिवाज के अनुसार मेरा विवाह उपरांत ही मेरा नाम परिवर्तित होकर विशाखा रामचंदानी पत्नी श्री जगदीश रामचंदानी हुआ तदोपरांत से ही मैं विशाखा रामचंदानी परिवर्तित नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

(दुर्गा लखानी)

पुत्री-श्री रूपचन्द लखानी.

(593-बी.)

नया नाम :

(विशाखा रामचंदानी)

पत्नी-श्री जगदीश रामचंदानी,
निवासी-ए-न्यू, 32/327, बैरागढ़, भोपाल.

CHANGE OF NAME

I, Mukul Singh Parihar S/o Shri Jay Singh Parihar, Residing at Bhayday Colony Parasia Road, Noniya Karbal, Chhindwara, Madhya Pradesh 480001 India my name MukulSingh Parihar as recorded I have changed my name to Mukul Singh Parihar to Mukul Singh Parrihar are the names one and the same person and that is myself.

Old Name :

New Name :

(MUKUL SINGH PARIHAR)**(MUKUL SINGH PARRIHAR)**

(594-B.)

आम सूचना

सर्वजन एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स पी डी रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0045/19 व पंजीयन दिनांक 21-05-2019 है तथा फर्म का पंजीकृत पता-202, स्टारलिट टॉवर यशवंत, निवास रोड, इन्दौर है. जिसमें पंजीयन के समय चार भागीदार 1. प्रदीप मदान पिता श्री गुरुदत्त मदान, 2. दीपक तेगे पिता स्व. श्री प्रभाकर तेगे, 3. श्रीमती रिता मदान पति प्रदीप मदान, 4. श्रीमती मिनाक्षी तेगे पति दीपक तेगे थे. दिनांक 22-07-2019 को फर्म में एक नए भागीदार श्री दर्शन लाल गोयल पिता श्री कन्हैयालाल गोयल ने फर्म में साझेदार होने की इच्छा प्रकट तथा फर्म के दो पुराने भागीदारों श्रीमती रिता मदान एवं श्रीमती मिनाक्षी तेगे ने फर्म से रिटायर होने की इच्छा प्रकट की जिसे फर्म के शेष भागीदारों ने स्वीकार कर लिया तथा वर्तमान में फर्म में 3 चालू रहने वाले भागीदार इस प्रकार हैं:- 1. श्री प्रदीप मदान पिता श्री गुरुदत्त मदान, 2. श्री दीपक तेगे पिता स्व. श्री प्रभाकर तेगे, 3. श्री दर्शन लाल गोयल पिता श्री कन्हैयालाल गोयल जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

फॉर-मेसर्स पी डी रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स,

प्रदीप मदान,

(भागीदार)

पता-12, बी ब्राह्मणपुरी कॉलोनी,

इन्दौर (म.प्र.).

(582-बी.)

आम सूचना

सर्वजन एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स साई इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0103/20 व पंजीयन दिनांक 23-09-2020 है तथा फर्म का पंजीकृत पता-35, श्रीविहार कॉलोनी, खण्डवा रोड, इन्दौर है. जिसमें पंजीयन के समय चार भागीदार 1. प्रदीप मदान पिता श्री गुरुदत्त मदान, 2. दीपक तेगे पिता स्व. श्री प्रभाकर तेगे 2. सदाशिव यादव पिता श्री कन्हैयालाल यादव, 3. राम गोयल पिता श्री कन्हैयालाल गोयल थे. दिनांक 18-07-2020 को फर्म में एक नए भागीदार श्री दर्शन लाल गोयल पिता श्री कन्हैयालाल गोयल ने फर्म में साझेदार होने की इच्छा प्रकट तथा फर्म के एक पुराने पार्टनर श्री राम गोयल पिता श्री कन्हैयालाल गोयल ने फर्म से रिटायर होने की इच्छा प्रकट की जिसे फर्म के शेष भागीदारों ने स्वीकार कर लिया. साथ ही फर्म का मुख्य पता बदलकर C/o राजेश गुप्ता रिलाएबल एसोसिएट्स, 206 चेतक सेंटर, 13-14 RNT मार्ग नियर श्रीमाया होटल इन्दौर किया गया तथा वर्तमान में फर्म में 4 चालू रहने वाले भागीदार इस प्रकार हैं:- 1. श्री प्रदीप मदान पिता श्री गुरुदत्त मदान, 2. श्री दीपक तेगे पिता स्व. श्री प्रभाकर तेगे, 3. श्री सदाशिव यादव पिता श्री कन्हैयालाल यादव, 4. श्री दर्शन लाल गोयल पिता श्री कन्हैयालाल गोयल जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

फॉर—मेसर्स साई इंफ्रास्ट्रक्चर,

प्रदीप मदान,

(भागीदार)

पता-12, बी ब्राह्मणपुरी कॉलोनी,

इन्दौर (म.प्र.).

(583-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मेसर्स जबलपुर मार्बल्स, पता-903, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) जो कि एक पंजीकृत साझेदारी संस्था है. इस साझेदारी संस्था के कार्यशील साझेदार श्री हाजी अब्दुल रज्जाक पिता श्री हाजी अब्दुल वहीद, पता-903, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा साझेदारी संस्था से 11-10-2018 को अवकाश ग्रहण किया गया तथा उनके स्थान पर एक नए साझेदार श्री मोहम्मद एफ्राज पिता श्री हाजी अब्दुल रज्जाक, पता-903, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) के द्वारा इस साझेदारी संस्था में 11-10-2018 को प्रवेश ग्रहण किया गया.

अतः इस बावत् किसी भी प्रकार की आपत्ति यदि कोई हो तो साझेदारी संस्था के पंजीकृत कार्यालय 903, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) पर सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर लिखितरूप में प्रदान करें. उपरोक्त समय पश्चात् की गई कोई भी आपत्ति अनापत्ति की श्रेणी की मानी जावेगी.

पंकज झा,

(अधिवक्ता)

पता-285/555, पूर्वी घमापुर,

जबलपुर (म.प्र.).

(574-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मेसर्स ए डब्ल्यू एण्ड संस, पता-903, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) जो कि एक पंजीकृत साझेदारी संस्था है. इस साझेदारी संस्था के कार्यशील साझेदार श्री हाजी अब्दुल रज्जाक पिता श्री हाजी अब्दुल वहीद, पता-903, बड़ी ओमती, जबलपुर द्वारा साझेदारी संस्था से 13-10-2018 को अवकाश ग्रहण किया गया तथा उनके स्थान पर एक नए साझेदार श्री मोहम्मद एफ्राज पिता श्री हाजी अब्दुल रज्जाक, पता-903, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) के द्वारा इस साझेदारी संस्था में 13-10-2018 को प्रवेश ग्रहण किया गया.

अतः इस बावत् किसी भी प्रकार की आपत्ति यदि कोई हो तो साझेदारी संस्था के पंजीकृत कार्यालय 903, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) पर सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर लिखितरूप में प्रदान करें. उपरोक्त समय पश्चात् की गई कोई भी आपत्ति अनापत्ति की श्रेणी की मानी जावेगी.

पंकज झा,

(अधिवक्ता)

पता-285/555, पूर्वी घमापुर,

जबलपुर (म.प्र.).

(575-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मेसर्स अभिषेक मार्बल एण्ड मिनरल्स, पता-903, बड़ी ओमती, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) जो कि एक पंजीकृत साझेदारी संस्था है. इस साझेदारी संस्था के कार्यशील साझेदार श्री अब्दुल रज्जाक पिता श्री हाजी अब्दुल वहीद, पता-903, बड़ी ओमती, तहसील व जिला जबलपुर द्वारा साझेदारी संस्था से 27-07-2020 को अवकाश ग्रहण किया गया तथा उनके स्थान पर एक नए साझेदार श्री मोहम्मद एफ्राज पिता श्री अब्दुल रज्जाक, पता-910, हरिजन थाने के पीछे, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) के द्वारा इस साझेदारी संस्था में 27-07-2020 को प्रवेश ग्रहण किया गया.

अतः इस बावत् किसी भी प्रकार की आपत्ति यदि कोई हो तो साझेदारी संस्था के पंजीकृत कार्यालय 903, बड़ी ओमती, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) पर सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर लिखितरूप में प्रदान करें. उपरोक्त समय पश्चात् की गई कोई भी आपत्ति अनापत्ति की श्रेणी की मानी जावेगी.

पंकज झा,

(अधिवक्ता)

पता-285/555, पूर्वी घमापुर,

जबलपुर (म.प्र.).

(576-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मेसर्स जुजावल मार्बल्स, पता-903, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) जो कि एक पंजीकृत साझेदारी संस्था है. इस साझेदारी संस्था के कार्यशील साझेदार श्रीमती सुबीना बेगम पति श्री हाजी अब्दुल रज्जाक, पता-903, बड़ी ओमती, जबलपुर द्वारा साझेदारी संस्था से 13-10-2018 को अवकाश ग्रहण किया गया तथा उनके स्थान पर एक नए साझेदार श्री मोहम्मद एफ्राज पिता श्री हाजी अब्दुल रज्जाक, पता-903, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) के द्वारा इस साझेदारी संस्था में 13-10-2018 को प्रवेश ग्रहण किया गया.

अतः इस बावत् किसी भी प्रकार की आपत्ति यदि कोई हो तो साझेदारी संस्था के पंजीकृत कार्यालय 903, बड़ी ओमती, जबलपुर (म.प्र.) पर सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर लिखितरूप में प्रदान करें. उपरोक्त समय पश्चात् की गई कोई भी आपत्ति अनापत्ति की श्रेणी की मानी जावेगी.

पंकज झा,

(अधिवक्ता)

पता-285/555, पूर्वी घमापुर,

जबलपुर (म.प्र.).

(577-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स महामाया ग्रुप कंस्ट्रक्शन, पूर्व पता किरार कॉलोनी, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) जोकि पता परिवर्तन कर बी-304, सनवैली, न्यू कलैक्ट्रेट के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर म.प्र. किया गया है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00046/09, दिनांक 15-07-2009 है. जिसमें दिनांक 08-09-2020 को अपनी साझेदारी फर्म के साझेदार में परिवर्तन कर साझेदारी फर्म से पक्षकार क्रमांक 3 श्री जवाहर सिंह पुत्र स्व. श्री हरविलास सिंह, निवासी किरार कॉलोनी, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर जिनका स्वर्गवास दिनांक 21-08-2020 को हो गया है. पूर्व में ही इनको सारा भुगतान कर दिया गया है और फर्म से किसी भी प्रकार को कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है और न ही अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष रहा है. भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स महामाया ग्रुप कंस्ट्रक्शन,
त्रिलोक सिंह,
(पार्टनर).

(580-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स इनफिनिफटी हेल्थ केयर 43, न्यू दुशयंत नगर, ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00139/15, दिनांक 28-10-2015 है जिसमें दिनांक 04-04-2019 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक-2 श्री अखिलेश सोनी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी, आयु 36 वर्ष, निवासी बी-28, अलीजाबाग कॉलोनी, शिन्दे की छावनी, ग्वालियर जो कि अपनी स्वेच्छा से इस फर्म से पृथक् हो गये है तथा श्रीमति श्याम देवी मिश्रा पत्नि श्री सुरेश कुमार मिश्रा, आयु 59 वर्ष, निवासी 43, न्यू दुशयंत नगर, ग्वालियर जो कि नवीन पक्षकार के रूप में शामिल हुए है. फर्म से पृथक् हुए साझेदार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स इनफिनिफटी हेल्थ केयर,
वरूण मिश्रा,
(पार्टनर).

(581-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स Binjraj Narsingdas सीहोर के भागीदार श्री अजीत कुमार मोदी दिनांक 31-03-2015 से पृथक् हो गए है. भागीदारी डीड दिनांक 04-04-2015 के अनुसार भागीदार श्री प्रहलाद दास मोदी, (निधन दिनांक 15-10-2015) श्री विनोद मोदी (निधन दिनांक 25-12-2019) एवं श्री प्रदीप कुमार मोदी के दिनांक 31-03-2015 से पृथक् होने से भागीदारी फर्म मेसर्स Binjraj Narsingdas सीहोर, दिनांक 31-03-2015 से भंग (विथदल) होकर श्री शरद मोदी की प्रोपराइटरशिप में कार्यशील है.

M/s Binjraj Narsingdas,
शरद मोदी,
(प्रोपरायटर)
मेन रोड, सीहोर.

(595-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सर्वजनिक न्यास अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर

प्र. क्रमांक 0001/बी-113/2019-20.

दिनांक 02 जनवरी, 2021

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

जैसा कि आवेदक श्री वासुपूज्य स्वामी श्वेताम्बर जैन मुर्तिपूजक तपागच्छ मंदिर न्यास तर्फे डॉ. कुंदनमल जैन पिता श्री कन्हैयालाल जैन व अन्य पता-ग्राम मांगल्या सड़क, तहसील सांवेर द्वारा श्री वासुपूज्य स्वामी श्वेताम्बर जैन मुर्तिपूजक तपागच्छ मंदिर न्यास पता-ग्राम मांगल्या सड़क, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम-4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया है, एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचना दी जाती है, कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 18 जनवरी, 2021 को विचार किया जायेगा.

उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है, समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता | : | श्री वासुपूज्य स्वामी श्वेताम्बर जैन मूर्तिपूजक तपागच्छ मंदिर न्यास पता-ग्राम मांगलिया सड़क, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर. |
| चल सम्पत्ति | : | 10000/- रुपये नगद. |
| अचल सम्पत्ति | : | मंदिर भवन ग्राम मांगल्या ए. बी. रोड पर स्थित है. जिसका क्षेत्र 30 गुणित 50 होकर कुल एरिया 1500 वर्गफीट है. |

आज दिनांक 02 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(19) **राधेश्याम मण्डलोई,**
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी उप-खण्ड, मंदसौर, जिला मंदसौर

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के **समक्ष**.

चूंकि महेश परमार पिता दीपचंद परमार, निवासी संजीत नाका मंदसौर अध्यक्ष श्री ईच्छापूर्ण बालाजी मंदिर ट्रस्ट पंजीयन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) श्री धारा-4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28 जनवरी, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, वीरप्रतापसिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-12-2020 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि दो समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम और पता : ईच्छापूर्ण बालाजी मंदिर ट्रस्ट उधम सिंह चौराहा स्टेशन रोड,
मंदसौर ट्रस्ट पंजीयन हेतु.

(अ) अचल सम्पत्ति : -

(ब) चल सम्पत्ति : -

(20) **वीरप्रतापसिंह,**
अनुविभागीय अधिकारी (उपखण्ड).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन

रा.प्र.क्र.0003/बी-113(1)/2019-20.

मण्डलेश्वर, दिनांक 22 नवम्बर, 2020

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुनिल पिता देवकृष्ण, निवासी बृजबिहार, खरगौन तहसील व जिला खरगौन

मध्यप्रदेश न्यासधारी एवं अध्यक्ष द्वारा “श्री बालाजी मंदिर कसेरा समाज (ताम्रकर) ट्रस्ट” महेश्वर तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 23 जनवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामलों की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. न्यास का नाम | : | “श्री बालाजी मंदिर कसेरा समाज (ताम्रकर) ट्रस्ट” महेश्वर तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.). |
| 2. न्यास का पता | : | नावघाट रोड बॉकेबिहारी मंदिर के पास महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.). |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 11,000/- रुपये नगद हैं। |
| 4. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

यह सूचना आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई।

मिलिन्द ढोके,

(21)

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

रा.प्र.क्र./0004/बी-113(1)/2020-21.

प्रो.क्रं. /20-21.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास.

चूंकि प्रार्थी “चावला चैरिटेबल ट्रस्ट ” तर्फे मनमोहन सिंह पिता स्व. रेवलसिंह चावला, पता बिस्टान रोड देजला-देवडा कॉलोनी के सामने खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) व अन्य-4 द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4(2) के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल संपत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

| अ. क्र. | नाम वस्तु | विवरण | वजन तथा नग |
|---------|--------------|-----------------------------|------------|
| 1. | चल सम्पत्ति | 1,00,000/- एक लाख रुपये नगद | निरंक - |
| 2. | अचल सम्पत्ति | निरंक. | निरंक - |

सत्येन्द्र सिंह,

(22)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय अनुविभागीयअ अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट लटेरी, जिला विदिशा

प्र.क्र. 0001/बी-113/2020-21.

लटेरी, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

जैसाकि श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ग्राम मुरारिया, तहसील लटेरी के अध्यक्ष श्री आशीष जैन पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास 1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18-01-2021 को विचार में लिया जायेगा कोई भी व्यक्ति जो उस ट्रस्ट या संपत्ति में हित रखते हों और उसके बारे में कोई आपत्ति एवं सुझाव देना चाहते हो वह इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 01 माह के अंदर अपनी आपत्ति एवं सुझाव 2 प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं या पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रेषित कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ग्राम मुरारिया ट्रस्ट.
2. अचल सम्पत्ति : ट्रस्ट के मंदिर एवं धर्मशाला का भवन
3. चल सम्पत्ति : मंदिर एवं धर्मशाला में उपलब्ध मुर्तियां, नगद राशि, जेबरात, बर्तन, फर्नीचर, मशीनरी एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं जो प्रकरण की अनुसूची में वर्णित हैं.

आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(23)

तन्मय वर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं कलेक्टर, जिला ग्वालियर

प्र.क्र. 0002/बी-113(1)/2020-21.

ग्वालियर, दिनांक 04 जनवरी, 2021

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

यह कि श्री भूषण मोटवानी पुत्र स्व. श्री जयराम मोटवानी, निवासी संत कंवर राम सिंधी धर्मशाला ट्रस्ट नगर मुरार, तहसील व जिला ग्वालियर, ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 21-01-2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः मैं, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं लोक न्यास पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक..... को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन कि तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : “संत कंवर राम सिंधी धर्मशाला ट्रस्ट”
वार्ड नं. 26 रिसाला बाजार, बजाज खाना, मुरार, तहसील व
जिला ग्वालियर (म.प्र.).
2. न्यास की चल सम्पत्ति : 5,00,000/- (औसत सकल वार्षिक आय सार्वजनिक फंडिंग)
3. न्यास की अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 04 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह,
कलेक्टर.

(24)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमंडल (क्षेत्रीय), देवास**

देवास, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020

आ.क्र./DM/2020/674.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र पुंजापुरा के SCI कूप क्र. VIII मानसिंहपुरा कक्ष क्र. 543 का पार्श्व में अंकित मार्किंग हैमर श्री गणपत सिंह रावत बीटगार्ड नीमखेड़ा द्वारा गुमा दिया गया है. जिसकी रिपोर्ट संबंधित बीटगार्ड द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पुलिस थाना उदयनगर में दर्ज करायी गयी. बहुत खोजबीन के पश्चात् भी हैमर का पता नहीं चल सका.

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पार्श्व में अंकित हैमर को अपलेखित किया जाता है उक्त हैमर की कीमत रुपये 800/- (आठ सौ मात्र) बीटगार्ड श्री गणपत सिंह रावत से उनके वेतन से एक मुश्त वसूली की जाती है एवं भविष्य के लिये चारित्रिक चेतावनी दी जाती है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उस हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.



(25)

देवास, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020

आ.क्र./DM/2020/673.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र कांटाफोड़ अन्तर्गत ISP नर्मदा-कालीसिंध लिंक परियोजना से प्रभावित वृक्षों के विदोहन हेतु प्रदायित पार्सिंग हैमर श्री विजय कुमार सोनी बीटगार्ड सिंगतादेह पश्चिम-बी द्वारा गुमा दिया गया है. जिसकी सूचना संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा दिनांक 17-07-2020 को पुलिस थाना कांटाफोड़ में दी गयी. बहुत खोजबीन के पश्चात् भी हैमर का पता नहीं चल सका.

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है उक्त हैमर की कीमत रुपये 800/- (आठ सौ मात्र) बीटगार्ड श्री विजय कुमार सोनी से उनके वेतन से एक मुश्त वसूली की जाती है एवं भविष्य के लिये चारित्रिक चेतावनी दी जाती है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उस हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.



(26)

पी. एन. मिश्रा
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/व्यू/1386 विदिशा दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 से निम्नालिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,

1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | परिसमापित समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|------|--|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | शीतल महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मेंहलुआ सेक्टर कुरवाई | 1077/31-01-2017 | 1949/30-12-2017 |
| 2. | मारुति बहु. साख सहकारी संस्था मर्या., पलीता, तहसील कुरवाई | 1082/31-01-2017 | 1952/30-12-2017 |
| 3. | बहु. सविदा शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा | 1076/31-01-2017 | 266/22-03-2019 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(13)

अनिल सक्सेना,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, मर्या., जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/क्यू—उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2020/1254 विदिशा, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|------|--|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पट्टन | 483/05-12-1993 | 486/11-03-1996 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुआखेड़ी | 241/04-11-1982 | 1051/10-05-1991 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहानाखेजड़ा | 243/04-11-1982 | 1050/10-05-1991 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे, यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(14)

के. एम. अग्रवाल,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, मर्या., विदिशा

विदिशा, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/क्यू—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन

में लाया जाकर मुझे 70(1) अंतर्गत पत्रक/परि./2020/31 विदिशा, दिनांक 10-01-2020 के द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | परिसमापित संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|------|---|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दी सिरोंज सर्वोदय तेल साबुन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज | 124/08-11-1965 | 5024/24-11-1969 |
| 2. | ग्रामीण तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज | 14312/17-03-1959 | 2984/15-09-1976 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वावली | 849/04-03-1913 | 737/08-06-2016 |
| 4. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कवूलपुर | 975/11-11-2014 | 738/08-06-2016 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. दांगी,
सहकारी निरीक्षक.

(15)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, मर्या., जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/क्यू—उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2020/1385 विदिशा, दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|------|---|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | लक्ष्मी महिला बालविकास कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., धुवा सेक्टर कुरवाई. | 1079/03-01-2017 | 1904/21-12-2017 |
| 2. | उत्थान कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कुरवाई | 1063/30-01-2017 | 1930/23-12-2017 |
| 3. | जागृति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., पढारी सेक्टर कुरवाई | 1086/31-01-2017 | 1931/23-12-2017 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. दुवे,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(16)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, मर्या., जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 17 दिसम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/क्यू—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत

परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | परिसमापित संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|------|--|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सूखासेमरा | 471/11-01-1993 | 489/11-03-1996 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेजड़ा | 477/11-01-1993 | 490/11-03-1996 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोठीचारकलां | 473/11-01-1993 | 491/11-03-1996 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिनसियाई | 489/05-06-1993 | 485/11-03-1996 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबंधित लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(27)

सुनील अग्रवाल,
उप-अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 08 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के अद्योहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|---|-------------------------|--|
| 1. | महेन्द्रा हायब्रिड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कसरावद | 152/04-02-2008 | 1453/11-11-2020 |
| 2. | राजेशवरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिचली | 167/18-09-2008 | 1455/11-11-2020 |
| 3. | महिमा महिला साख सहकारिता मर्या., कसरावद | 38/19-12-2003 | 1424/11-11-2020 |

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं, के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है. वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करे उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा पुस्तक चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बंधित परिसमापक को प्रस्तुत करे व रसीद प्राप्त करे. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 08 जनवरी, 2021 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(28)

एच. सी. यादव,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2021.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी, 2021-पौष 25, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020

1. मौसम एवं वर्षा—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.
4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई समाप्त हो चुकी है.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :-कोई क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 (ब) | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 9 | | | 10 | | |
|-----|-----------|---|-------|-------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|-------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| 8. | गुना : | गुना राघोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज | | | | | | | | | | | | | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 9. | टीकमगढ़ : | जतारा टीकमगढ़ बल्देवगढ़ पलेरा खरगापुर मोहनगढ़ लिधौरा | | बोनी चालू जुताई चालू | | | | चना राई-सरसौ मसूर मटर गेहूँ | | | अधिक अधिक कम अधिक अधिक | 0.02 0.05 2% 2% 5% | सामान्य समान समान सामान्य सामान्य | | | 5. अपर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. 0 |
| 10. | निवाड़ी : | निवाड़ी पृथ्वीपुर ओरछा | | | | | | | | | | | | | 5. . . | 6.(अ). . | 6.(ब). . | 7. . . | 8. . . | |
| 11. | छतरपुर : | गौरीहार नौगांव छतरपुर राजनगर बिजावर बड़ा मलहरा महाराजपुर चंदला धुवारा लवकुशनगर बक्सवाहा | | जुताई चालू बोनी चालू | | | | | | | | | | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 (ब) | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | |
|-----|----------|---|-------|-------------------------|-------|-------|--|-------|-------|--|---|--|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25. | उज्जैन : | खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा | | बोनी चालू | | | गेहूं चना | | | कम अधिक | 10% 30% | सामान्य समान | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 26. | आगर : | बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर | | जुताई चालू बोनी चालू | | | | | | | | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. | |
| 27. | शाजापुर: | मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अबंतीपुर- बडौदिया गुलाना | | जुताई चालू | | | गेहूं चना रई-सरसों मसूर तुअर अन्य | | | अधिक कम सामान्य सामान्य कम अधिक | 20% 25% 10% 2% | सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य समान | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 28. | देवास : | सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव | | जुताई चालू बोनी चालू | | | | | | | | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)संतोषजनक | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 (ब) | 6 | 7 | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | |
|-----|----------|--|-------|-------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|------------------------------|---|-------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| 37. | राजगढ़ : | राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़ | | | | | | गेहूं चना मसूर अन्य | | | | | | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. |
| 38. | विदिशा : | लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर | | | | | | गेहूं मसूर चना | | | | | सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई | 20% 15% 25% | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)सामान्य. | 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. |
| 39. | भोपाल : | बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़ | | जुताई चालू बोनी चालू | | | | गेहूं चना मटर धान | | | कम अधिक सामान्य कम | 10% 15% 10% | सामान्य सामान्य सामान्य समान | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. |
| 40. | सीहोर : | सीहोर आष्टा इछाबर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी | | | | | | गन्ना तुअर गेहूं चना मसूर | | | कम कम अधिक अधिक कम | 50% 15% 2% 2% 2% | सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त | 8. पर्याप्त. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 (ब) | 6 | 7 | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | |
|-----|--------------|------------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 48. | मण्डला : | | | जुताई चालू बोनी चालू | | | | गन्ना चना लाख | तुअर मटर जौ | गेहूँ मसूर रई-सस्से | सामान्य सामान्य सामान्य | | सामान्य सामान्य सामान्य | | 5. .. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| | | मण्डला | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | नैनपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बिछिया | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | निवास | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | नारायणगंज | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | घुघरी | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | डिण्डोरी : | | | जुताई चालू बोनी चालू | | | | तुअर रई-सस्से | | गेहूँ चना | समान सामान्य | | सामान्य सामान्य | | 5. .. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| | | डिण्डोरी | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शाहपुरा | | | | | | मसूर | मटर | अलसी | सामान्य | | सामान्य | | | | | | |
| | | बजाग | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | छिन्दवाड़ा : | | | जुताई चालू बोनी चालू | | | | गेहूँ चना मटर | | | | | | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. .. | 8. पर्याप्त. |
| | | छिन्दवाड़ा | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | तामिया | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | परासिया | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जुन्नारदेव | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | सोंसर | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बिछुआ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अमरवाड़ा | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | चौरई | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | उमरेठ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मोहखेड़ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | हरई | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | चांद | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | पांडुर्णा | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | सिवनी : | | | जुताई चालू बोनी चालू | | | | धान तुअर ज्वार अलसी | गन्ना चना उड़द मटर | अन्य मूंग रई-सस्से लाख | अधिक कम कम कम | | सामान्य समान सामान्य सामान्य | | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| | | सिवनी | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बरघाट | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | कुरई | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | केवलारी | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | लखनादोन | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | छपारा | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | धनोरा | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | घंसोर | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 (ब) | 6 | 7 | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | |
|-----|-----------|---|-------|------------|-------|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|--------------|----------------|-------------|--------|--------------|
| 52. | बालाघाट : | | | जुताई चालू | .. | .. | .. | गेहूँ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5. पर्याप्त. | 6.(अ)पर्याप्त, | 6.(ब)अच्छी. | 7. . . | 8. पर्याप्त. |
| | बालाघाट | | | बोनी चालू | .. | .. | .. | चना | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | लाँजी | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | किरनापुर | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | बैहर | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | वारासिवनी | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | कटंगी | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | लालबर्वा | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | तिरोडी | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | परसवाड़ा | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | बिरसा | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | खैरलाँजी | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

(18)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.